

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम-126)

R-No
351
28/11/17

आदेश पत्रक ता० :- से - 75/16-17 तक

जिला :- गढ़वा सं० - सन् 20 - 20.....

केश का प्रकार :- सीमांकन के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित												
05.02.17	<p>श्री सती विमला देवी</p> <p>वल्द श्री शुजात राम</p> <p>ग्राम हस्कर पोस्ट सौह</p> <p>थाना गढ़वा जिला गढ़वा</p> <p>ने अपने भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिया है जिसका विवरण निम्नवत है:-</p> <table border="1" data-bbox="446 1470 1553 1705"> <thead> <tr> <th colspan="4">भूमि का विवरण</th> </tr> <tr> <th>ग्राम</th> <th>खाता सं०</th> <th>प्लॉट सं०</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>हस्कर</td> <td>26</td> <td>151</td> <td>0.09 अ०</td> </tr> </tbody> </table> <p>हल्का कर्मचारी/अंचल अमीन उक्त भूमि का जाँच प्रतिवेदन दें कि प्रश्नागत भूमि किसकी है तथा मापी हेतु कितना समय लगेगा ताकि मापी शुल्क जमा कराया जा सके।</p> <p>अंचल पदा० गढ़वा</p>	भूमि का विवरण				ग्राम	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	हस्कर	26	151	0.09 अ०	<p>R-No 397 28/11/17</p>
भूमि का विवरण														
ग्राम	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा											
हस्कर	26	151	0.09 अ०											
17.02.17	<p>अभिलेख प्रस्तुत किया गया। हल्का कर्मचारी / अंचल अमीन के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। तदनुरूप आवेदक को मापी शुल्क के रूप में मो० 1200/- रु. जमा करने का आदेश दिया जाता है। अंचल नाजीर उक्त राशि की जमा का नाजीर रसीद निर्गत करें। साथ ही अंचल अमीन को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि का सीमांकन करके दिनांक तक अपना प्रतिवेदन दें। अपने स्तर से सभी पक्षों को अवगत करा दें।</p> <p>अंचल पदा० गढ़वा</p>	<p>N.R.No 168932- 200-200 रसुदर देवी अंचल अमीन गढ़वा 28/11/17</p>												

03/07/2017

अभिलेख उपस्थापित किया गया। दोनों पक्षों को नोटिफिकेशन निर्गत करें।

03/07

अंचल अधिकारी,
गढ़वा।

25/07/17

अभिलेख उपस्थापित किया गया।

ग्राम - हंसकर के खता/26 प्लॉट 151 रकबा 0.09 रुकड़ भूमि का मापी अंचल अमीन के द्वारा किया गया। अंचल अमीन ने मापी प्रतिवेदन तथा दृष्टा नक्शा रण-गवाही पत्र समर्पित किया गया है। मापी के समय सुनील राम द्वारा आपत्ति किशु जाने के कारण रण-आप्सी विवाद के कारण खुशगड़ी नहीं कराया जा सका।

अभिलेख की कारवाई समाप्त की जाती है।

25/07

अंचल अधिकारी,
गढ़वा।